जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 03.09.2025**

“थाना स्योहारा में ऑपरेशन क्लीन अभियान के अंतर्गत 52 वाहनों की नीलामी किये जाने संबंधी”

कार्यवाही –

आज दिनांक 03.09.2025 को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर पर उपजिलाधिकारी, धामपुर व क्षेत्राधिकारी धामपुर की मौजूदगी में माल-मुकदमाती के कुल 52 वाहनो (26 वाहन 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत, 11 वाहन लावारिस एवं 15 वाहन न्यायालय से अनुमति प्राप्त) की नीलामी की गई। नीलामी का अनुमन्य मूल्य ₹1,25,000/- आंका गया था, जिस पर कुल 59 व्यक्तियों ने सहभागिता की।

अनुमानित मूल्य से ₹ 3,75,000/- अधिक में नीलामी की गयी। सर्वोच्च बोली श्री सलीम अहमद पुत्र हफीज अहमद निवासी मौ0 वीर शहीद कलां कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने सर्वाधिक बोली ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) की लगाई। उच्चतम बोली स्वीकृत होने पर वाहनों की नीलामी उनके पक्ष में संपन्न की गई। नीलामी से प्राप्त धनराशि न्यायालय की अनुमति उपरांत राजकोष में जमा कराई जाएगी।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 03.09.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 323/506 भादवि व धारा 6 पॉक्सो एक्ट आरोपित अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व कुल 28,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 04.07.2022 को वादी द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी थी कि अभियुक्त कौशल शर्मा पुत्र चन्द्र शर्मा निवासी ग्राम मलकपुर बुढेरन थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ मारपीट कर गलत कार्य किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 320/22 धारा 323/354(क)/370 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 354(क)/370 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट का लोप कर धारा 376(AB)/506 भादवि व धारा 5(ठ)/5(ढ)/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 03.09.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट, बिजनौर धारा 323/506 भादवि व धारा 6 पॉक्सो एक्ट के आरोपित अभियुक्त कौशल शर्मा उपरोक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व कुल 28,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

कौशल शर्मा पुत्र चन्द्र शर्मा निवासी ग्राम मलकपुर बुढेरन थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 03.09.2025**

थाना धामपुर पर एमवीएक्ट/लावारिस 18 वाहनों की नीलामी के संबंध में।

कार्यवाही –

आज दिनांक 03.09.2025 को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी धामपुर, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बिजनौर व क्षेत्राधिकारी, धामपुर की मौजूदगी में थाना धामपुर पर खडे एमवी एक्ट / लावारिस के कुल 18 वाहनो (मोटरसाइकिल) की नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की गई। कुल 18 वाहनों (मोटरसाइकिल) का अनुमानित मूल्य 44,200/- रुपये था। उक्त 18 वाहनों (मोटरसाइकिल) की सर्वोच्च बोली सलीम अहमद पुत्र मौ0 हफीज निवासी मौ0 पीर शहीद कला थाना नहटौर जनपद बिजनौर (यूएस इन्टर प्राईसिस) द्वारा 1,50,000/- रूपये में लगाई गई। सलीम अहमद के हक में नीलामी की गई।

गठित टीम का विवरण –

1. उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी, धामपुर जनपद बिजनौर।
2. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बिजनौर।
3. थाना धामपुर पर गठित पुलिस टीम।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक - 03.09.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नजीबाबाद	जावेद कुरैशी पहलवान पुत्र युसूफ कुरैश निवासी मौ0 मेहन्दीबाग थाना नजीबाबाद बिजनौर
2	हीमपुर दीपा	जय सिहँ पुत्र निर्मल सिहँ निवासी ग्राम मुबारकपुर खादर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3	हीमपुर दीपा	नईम पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी ग्राम अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– जनपद बिजनौर **दिनॉक 03.09.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में 42वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को धारा 392/411 भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹8,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाही: –

दिनांक 06.02.2019 को अभियुक्त कोहर सिंह पुत्र नत्थू निवासी ग्राम पपसरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी सुशील कुमार पुत्र छुट्टन सिंह को तमंचा दिखाकर वादी की मोटरसाइकिल, सैंमसंग का मोबाइल फोन व 700 रूपये की लूट की घटना कारित करने के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 31/19 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे विवेचना उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 03.09.2025 को मा0 न्यायालय जे0एम0 नगीना कोर्ट नं0– 02, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 31/19 धारा 392/411 भादवि के आरोपी कोहर सिंह पुत्र नत्थू निवासी पपसरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 8,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट– उल्लेखनीय है कि अभियुक्त **कोहर सिंह पुत्र नत्थू उपरोक्त थाना नहटौर का हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0– 55ए) अभियुक्त है,** जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर हत्या/गैंगस्टर एक्ट/लूट/चोरी आदि धाराओं में एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:–

1. कोहर सिंह पुत्र नत्थू निवासी पपसरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर **(हिस्ट्रीशीट सं0– 55ए)**

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना बढापुर   दिनांक 03.09.02025

थाना बढापुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त को कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण –

जनपद में अवैध शराब की बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण करने वाले अभियुक्तो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना बढापुर पुलिस व आबकारी पुलिस क्षेत्र नगीना की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.विजय पुत्र मंगू 2.सोरन पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण ग्राम टाड़ा साहूवाला थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर को प्लास्टिक के कट्टे में 20-20 लीटर अवैध शराब सहित किया गिरफ्तार। इस सम्बन्ध में थाना बढापुर पर आबकारी अधिनियम की धाराओ में मु0अ0स0-136/25 बनाम विजय व मु0अ0स0-137/2025 बनाम सोरन पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.विजय पुत्र मंगू निवासी ग्राम टाड़ा साहूवाला थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर।

2.सोरन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम टाड़ा साहूवाला थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त विजय–

1.मु0अ0स0-015/2024 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

2. मु0अ0स0-274/2023 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

3. मु0अ0स0-225/2023 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

4. मु0अ0स0-142/2023 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

5. मु0अ0स0-085/2023 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

6. मु0अ0स0-236/2022 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

7.मु0अ0स0-164/2021 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

8. मु0अ0स0-131/2021 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

9.मु0अ0स0-099/2021 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

10. मु0अ0स0-198/2029 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

11. मु0अ0स0-024/2019 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

12. मु0अ0स0-269/2029 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

13. मु0अ0स0-233/2020 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

14. मु0अ0स0-128/2024 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

15. मु0अ0स0-130/2024 धारा-60(1) आबकारी अिधिनय़म, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

16 मु0अ0स0-0218/2024 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

17. मु0अ0स0-015/2024 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

18. मु0अ0स0-136/2025 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सोरन–

1.मु0अ0सं0 137/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर जनपद बिजनौर

2. मु0अ0सं0 130/2019 धारा 316/323/341/504 भादवि, थाना बढापुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण –

1. 20-20 लीटर (कुल 40 लीटर) अवैध नाजायज शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 अजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 1922 श्याम कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

3. आरक्षी 63 सागर सैनी थाना-बढापुर जनपद बिजनौर।

4. आरक्षी 1140 अंकित यादव थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

5. आरक्षी का0 2257 पीयूष कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

6. आबकारी आरक्षी अभिषेक कुमार क्षेत्र 05 नगीना जनपद बिजनौर ।

7. आबकारी आरक्षी विपुल कुमार क्षेत्र 05 नगीना जनपद बिजनौर।